

13

11-6-2021

पत्रावली पेश हुई विपक्षीय ने आरिखार
 होकर पार्थी जयपन्थ को पत्थरगर्भी कराने
 पर किसी प्रकार का कोई ऐराज नहीं
 करना अवगत कराया गया। साक्षी पत्र
 विवरण साक्षीना पत्र इस प्रकार है कि
 पार्थी ने साक्षीना पत्र अलगद्वारा 128
 एल. आर. एम. के तहत इस आशय का
 प्रस्तुत किया कि मौजा देवली पत्थर
 मण्डल पीराना तहसील इंगला की आराजी
 नम्बर 1067/75 रकबा 0.3160 है अग्नि स्वयं
 की स्वतन्त्रता की होकर राजस्व रेकार्ड में
 दर्ज है; जिसका कोई न्यायी सीमा
 पिन्ट नहीं है। तथा विपक्षीय आराजी के
 पक्षी है। पार्थी और विपक्षी के मध्य
 आराजी सीमा को लेकर भाये दिन
 विवाद होता रहा है, इसलिए उपरोक्त
 आराजी की पत्थर कराई जाते। पत्रावली
 पर उपरोक्त राजस्व अभिलेख का अवलोकन
 किया गया वह सही गरी। पार्थी और वह
 आराजी का स्वतन्त्र होकर उन्हें नपरी कराने का
 अधिकार नहीं है। अतः तहसीलदार इंगला को
 1000/- एक हजार रुपये फीस पर कमीशन
 नियुक्त जाकर आदेशित किया जाता है कि
 मुकदमा पक्षकारान की उपस्थिति में बटोरवली
 नक्शे के अनुसार किना किरसी के कब्जे
 का प्रत्येक दरबल दिये मौजा देवली पत्थर
 मण्डल पीराना तहसील इंगला की आराजी
 1067/75 रकबा 0.3160 है अग्नि की पत्थरगर्भी
 मुकदमाल तौर पर की जाते। पत्थरगर्भी
 पालना प्रतिवेदन दिनांक 13-7-2021 एक
 न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की। पालना रिपोर्ट
 प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली है।
 पत्रावली केवल शुभारंभ होकर नम्बर से
 कम है।

म द्वापार

म १५३३

उपखण्ड अधिकारी

इंगला

